

कार्यालयाध्यक्ष / Office Incharge हेतु Election Staff Deployment (ESD) साफ्टवेयर में प्ररूप-2 पर अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण फीड किए जाने के सम्बन्ध में निर्देश।

जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) से प्राप्त निर्देशों के क्रम में कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण ESD साफ्टवेयर में फीड किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी।

1. राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० की वेबसाइट sec.up.nic.in Home Page (Screen Shot-1) के Official Login के Section "Election Staff Deployment" (Screen Shot-2) पर Click करके Login page open करना होगा।



(Screen Shot-1)




(Screen Shot-2)




(Screen Shot-3)

2. उक्त Open हुए Login page (Screen Shot-3) में दिए गए रेडियो बटन (OCK / ADM एवं ESD Office) में से ESD Office को चुनकर Login ID हेतु दिए गए Mobile No. एवं Captcha भरकर Sign in पर Click करने पर Screen Shot-4 के अनुसार Window Open होगी। इस Window में दिये गये बटन "Generate OTP" पर Click करके OTP Generate किया जाएगा। जो Login ID हेतु दिए गए Mobile No. पर प्राप्त होगा। उक्त OTP भरकर Login करने पर Open हुए page के Link "Entry Form" (Screen Shot-5) में अधिकारियों / कर्मचारियों का विवरण फीड किये जाने हेतु Form (प्ररूप-2) उपलब्ध होगा। उक्त फार्म में विवरण हिन्दी यूनीकोड में भरा जाएगा।




(Screen Shot-4)




(Screen Shot-5)

3. Entry Form में अधिकारियों / कर्मचारियों की फोटो भी अपलोड की जानी है। फोटो की File Size 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के पश्चात् Submit करने पर अधिकारियों / कर्मचारियों का विवरण सुरक्षित हो जाएगा।
4. फीड किए गए अधिकारियों / कर्मचारियों के विवरण को Link "View & Edit" (Screen Shot-6) में देखा जा सकता है एवं विवरण में संशोधन किया जा सकता है तथा उसको हटाया जा सकता है।




(Screen Shot-6)

5. फ्रीज किये गये विवरण को फ्रीज किये जाने की कार्यवाही Link "Data Frezed" (Screen Shot-7) के द्वारा की जाएगी। कार्यालयाध्यक्ष/Office Incharge यह सुनिश्चित कर लें कि प्रपत्र-1 (जिसके द्वारा कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का संख्यात्मक विवरण उपलब्ध कराया गया है) के बिन्दु-7 में भरी गई सूचना के अनुसार ही अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण भरा गया है। यदि प्रपत्र-1 में भरी गयी सूचना एवं साफ्टवेयर मे फ्रीड किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या में भिन्नता होती है, तो डेटा फ्रीज नहीं हो पायेगा।



(Screen Shot-7)

6. विवरण को फ्रीज किये जाने के पश्चात विवरण में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। विवरण को केवल Link "All Staff Details " (Screen Shot-8) के द्वारा देखा जा सकता है एवं डेटा को Excel Sheet पर डाउनलोड किया जा सकता है।



(Screen Shot-8)

7. यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के विवरण में संशोधन किया जाना है अथवा विवरण को हटाया जाना है, इसके लिए डेटा अनफ्रीज कराया जाना होगा। अनफ्रीज किये जाने की कार्यवाही उप जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के द्वारा की जाएगी।

8. जो अधिकारी/कर्मचारी माह जून, 2021 में सेवा निवृत्त हो रहे हैं उनका विवरण न भरा जाए।
9. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो निर्वाचन ड्यूटी करने में असमर्थ हैं जैसे गर्भवती महिला, दिव्यांग, गम्भीर रूप से बीमार एवं आवश्यक सेवा में लगे कर्मचारी जैसे ड्राइवर, सफाई कर्मी एवं ऐसे अन्य कोई कर्मचारी जिन्होंने उचित कारणों से निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखने के लिए आवेदन किया हो, को ड्यूटी से मुक्त रखने हेतु Link "Entry Form" (Screen Shot-4) की Field "अभियुक्ति (यदि लागू हो तो)" के ड्राप-डाउन से सम्बन्धित विकल्प चुना जायेगा।